

## स्टेशनरी सामग्री हेतु निविदा हेतु शर्तें


1. निविदाकार द्वारा निविदा की धरोहर राशि रु. 80000/- रुपये साठ हजार केवल संचालक म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल के नाम से देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/सावधि जमा के रूप में जमा करनी होगी।
2. निविदा केवल कार्यालय द्वारा जारी निविदा प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। अमान्य की गयी निविदा की धरोहर राशि निविदा खोले जाने के पश्चात वापस की जायेगी।
3. स्टेशनरी सामग्री की दरे फर्म अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निविदा खोली जायेगी। अंतिम तिथि एवं निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी और न ही खोली जायेगी। दरे खोले जाते समय यदि कोई फर्म अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहता है, तब भी दरे खोले जाने की आवश्यक कार्यवाही बिना किसी प्रतीक्षा के सम्पन्न की जायेगी तथा इस संदर्भ में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के निविदकर्ता सील बंद निविदा के उपर एवं निविदा प्रपत्र के उपर स्पष्ट रूप से वर्ग अंकित करें एवं अपने विशेष पंजीयन की प्रतिलिपि अवश्य लगाएं।
5. निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार संचालक वाल्मी के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिये निविदाकार द्वारा कोई दावा अथवा पत्राचार नहीं कर सकता और न ही उसका दावा स्वीकार्य होगा।
6. निविदा खुलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है तो तिथि आगामी कार्य दिवस हेतु स्वतः बढ़ जायेगी जिसकी सूचना निविदाकार को पृथक से नहीं दी जायेगी और निविदा खोलने की कार्यवाही कार्यालय द्वारा पूर्ण की जायेगी।
7. जिन सामग्री में Expiry Date में होती है ऐसी सामग्री नवीनतम निर्मित होना चाहिए एवं सामग्री के उपयोग हेतु न्यूनतम 6 माह का समय डिग्रेवरी तिथि पर होना चाहिए।
8. म.प्र. शासन के भण्डार कय नियमों के संशोधन अनुसार 30 प्रतिशत सामग्री अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से कय की जायेगी इसका प्रमाण संबंधित फर्म को देना होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निविदाकार निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।
9. निविदाकार की दरे कम से कम 25 सामग्रियों में न्यूनतम होने पर ही निविदा स्वीकार होगी।
10. केवल वे ही निर्माता, कम्पनी/अधिकृत विक्रेता/व्यापारी अपनी निविदायें प्रस्तुत करें जिनके पास संबंधित सामग्री हेतु स्वयं के व्यावसायिक प्रतिष्ठान हों तथा वांछित सामग्री प्रदाय करने का साधन हों। निविदाकार अपने दुकान की स्थापना, फर्म का पंजीयन कमांक, दिनांक, जीएसटी नम्बर, पेन कार्ड उपलब्ध हों। उपरोक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. बिना कोई कारण बताये किसी भी फर्म की दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार संचालक म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल का होगा व संचालक द्वारा लिया गया निर्णय विधिमान्य होगा। संचालक वाल्मी को बिना कोई कारण बताये संपूर्ण निविदा प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. कार्य सम्पादन में किसी भी प्रकार की शिथिलता, उदासीनता अथवा विलंब के कारण संस्थान को हुई क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा तथा हानि के मूल्यांकन अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति का दायित्व भी निविदाकार का होगा।
13. चयनित फर्म को सामग्री का प्रदाय संस्थान कार्यालय में करना होगा इस बावत पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. फर्म द्वारा समस्त कर एवं अन्य व्यय सहित दरे प्रस्तावित की जायेगी।
15. चयन समिति द्वारा चयनित फर्म को कार्य आदेश में दर्शाई गई तिथि तक सामग्री प्रदाय सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

16. अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक वैध होगी जिसे परस्पर सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
17. अनुबंध के संबंध में तयनित फर्म एवं संस्थान के मध्य किसी भी विवाद पर संस्थान के संचालक का निर्णय अंतिम होगा। निर्णय अस्वीकार होने की दशा में विवाद का न्यायिक क्षेत्र भोपाल ही होगा।
18. फर्म द्वारा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
19. न्यूनतम निविदाकार द्वारा संस्थान के साथ रु. 1000/- नान जुडिशियन स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक वाल्मी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। निविदाकार द्वारा इस पर कोई दावा नहीं कर सकेगा।
20. निविदाकार के फर्म का वित्त तीन वर्ष (2014-15, 2015-16, 2016-17) का वार्षिक चलित टर्न ओवर रु. 60.00 लाख (प्रतिवर्ष) से कम होने पर किसी भी परिस्थिति में निविदा स्वीकार्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
21. अनुबंध अवधि में समय-समय पर किये जाने वाले भुगतानों से नियमानुसार देय करों की कटौती की जायेगी।
22. निविदा के साथ आयकर जमा संबंधी प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें। इसके अभाव में निविदा विचारयोग्य नहीं होगी।
23. स्थानीय सामग्री प्रदायकर्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।

उपरोक्त सभी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं जो मुझे पूर्णतः स्वीकार हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर  
मुद्रा सहित

संचालक  
वाल्मी, भोपाल

  
प्र. बल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान  
भोपाल